



## राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास (एनपीएस न्यास)

14 वीं मंजिल, आईएफसीआई टावर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली – 110019

वेबसाइट : [www.npstrust.org.in](http://www.npstrust.org.in)

विज्ञापन संख्या . 4/2023

दिनांक : 07.10.2023

### एनपीएस न्यास में अधिकारी ग्रेड डी (उप महाप्रबंधक) के पद पर सीधी भर्ती

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास (एनपीएस न्यास/न्यास) की स्थापना पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए/प्राधिकरण) के द्वारा भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत आस्तियों और निधियों के अनुरक्षण और अभिदाताओं के हित में पीएफआरडीए द्वारा अधिकृत अन्य योजनाएं के कार्यान्वयन हेतु द्वारा की गई है। एनपीएस न्यास की शक्तियां, कार्य और कर्तव्य दिनांक 27.02.2008 के न्यास विलेख के प्रावधानों के अतिरिक्त, पीएफआरडीए (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) विनियम 2015 और उसके बाद के संशोधनों के तहत निर्धारित किए गए हैं। एनपीएस न्यास एनपीएस मध्यस्थों की परिचालन और कार्यात्मक गतिविधियों की निगरानी के लिए उत्तरदायी है यथा पेंशन फंड, न्यासी बैंक, कस्टोडियन, केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियां (शिकायतों और निकास व आहरण के संबंध में) जो अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए पीएफआरडीए द्वारा अधिकृत और निर्देशित है। एनपीएस न्यास का मुख्यालय नई दिल्ली में है। एनपीएस न्यास भविष्य में आवश्यकता के अनुसार देश के अन्य हिस्सों में भी अपने कार्यालय खोल सकता है। विज्ञापित पद केवल एनपीएस न्यास के लिए हैं और इनका पीएफआरडीए से कोई संबंध नहीं है।

चयनित आवेदकों को एनपीएस न्यास में कार्य करना होगा और वे पीएफआरडीए में किसी भी पद या किसी भी प्रकार के रोजगार पर दावा नहीं कर सकते हैं।

एनपीएस न्यास सीधी भर्ती के आधार पर निम्नलिखित पदों को भरने के लिए पात्र भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित करता है। एनपीएस न्यास के पास पदों को बढ़ाने या घटाने, भरने या न भरने या आवश्यकताओं को पूर्ण या आंशिक रूप से संशोधित करने या प्रक्रिया को किसी भी स्तर पर समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है और तदनुसार, आवेदकों को चयन प्रक्रिया में आगे शामिल होने का कोई अधिकार नहीं होगा।

रिक्तियों का विवरण									
ग्रेड	शाखा	पद की संख्या						इनमें से पीडब्ल्यूबीडी के लिए	वेतन मान
		यू/आर	ओबीसी	एससी	एसटी	ईडब्ल्यूएस	कुल		
ग्रेड डी (उप- महाप्रबंधक)	जोखिम प्रबंधन	1	-	-	-	-	1	-	110050-3550(2)- 117150-3700(5)- 135650-3900(1)- 139550 (9 वर्ष)

संक्षिप्ताक्षर : एससी: अनुसूचित जाति, एसटी: अनुसूचित जनजाति, ओबीसी: अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यूआर/सामान्य: अनारक्षित/सामान्य, पीडब्ल्यूबीडी: बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति।

**महाप्रबंधक**

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास

सामान्य अनुदेश

1. उम्मीदवारों को आयु, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव आदि के संदर्भ में उनकी पात्रता के अनुसार पद के लिए आवेदन करने की अनुमति है।

2. उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि वे कंप्यूटर साक्षर हों और एमएस-ऑफिस (वर्ड और एक्सेल) अनुप्रयोगों से परिचित हों।

क) उम्मीदवार की आयु 30.09.2023 को संबंधित पद के लिए निर्धारित आयु सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए तथापि, निर्धारित ऊपरी आयु-सीमा में निम्नानुसार छूट दी जाएगी:

ख) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम पांच वर्ष तक की छूट, यदि पद उनके लिए आरक्षित हैं;

ग) अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में अधिकतम तीन वर्ष तक की छूट, जो ऐसे उम्मीदवारों पर लागू आरक्षण का लाभ उठाने के पात्र हैं यदि पद उनके लिए आरक्षित हैं;

घ) पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए 10 (दस) वर्ष की छूट लागू होगी चाहे पद आरक्षित हो या नहीं। पीडब्ल्यूबीडी (ओबीसी) उम्मीदवारों के लिए 13 (तेरह) वर्ष की छूट जहां रिक्तियां ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। पीडब्ल्यूबीडी (एससी/एसटी) उम्मीदवारों के लिए 15 (पंद्रह) वर्ष की छूट जहां रिक्तियां एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं।

ड.) भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5 (पांच) वर्ष की छूट। भूतपूर्व सैनिकों में आपातकालीन आयोग अधिकारी/अल्प-सेवा आयोग अधिकारी शामिल हैं, जिन्होंने कम से कम पांच साल की निरंतर सैन्य सेवा प्रदान की है और उन्हें कार्य-निष्पादन के पूर्ण होने पर कार्य-मुक्त कर दिया गया है क) (उन लोगों सहित जिनका कार्य-निष्पादन 30.09.2023 से एक वर्ष के भीतर पूरा होने वाला है किन्तु कदाचार या अकुशलता के कारण बर्खास्तगी या सेवा-मुक्त के मामले में लागू नहीं होगी या ख) सैन्य सेवा के कारण शारीरिक विकलांगता के कारण या ग) अशक्तता के कारण। आपातकालीन आयोग अधिकारी/अल्प-सेवा आयोग अधिकारी जिन्होंने सैन्य सेवा के पांच साल के कार्य-निष्पादन की प्रारंभिक अवधि पूरी कर ली है, लेकिन जिनका कार्यकाल पांच साल से अधिक बढ़ा दिया गया है और जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय प्रमाण पत्र जारी करता है कि उन्हें नियुक्ति का प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के भीतर चयन होने पर कार्य-मुक्त कर दिया जाएगा।

च) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित उम्मीदवार, जो पीडब्ल्यूबीडी और पूर्व सैनिकों की श्रेणी में आते हैं, संचयी आयु-छूट के अनुदान के लिए पात्र होंगे।

4. ओबीसी वर्ग से संबंधित लेकिन 'क्रीमी लेयर' में आने वाले उम्मीदवार ओबीसी आरक्षण के हकदार नहीं हैं। उन्हें अपनी श्रेणी (यूआर/सामान्य) बतानी चाहिए। केवल 'नॉन-क्रीमी लेयर' (एनसीएल) से संबंधित उम्मीदवार ही ओबीसी श्रेणी के तहत आवेदन करने के पात्र हैं। ओबीसी (एनसीएल) श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के पास 30.09.2022 को या उसके बाद लेकिन आवेदन की अंतिम तिथि से पहले जारी वैध ओबीसी (एनसीएल) प्रमाण पत्र होना चाहिए।

5. जहां ओबीसी/एससी/एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कोई रिक्ति आरक्षित नहीं है, ऐसे उम्मीदवार अभी भी आवेदन कर सकते हैं। तथापि, वे ऊपर उल्लिखित किसी भी छूट के लिए पात्र नहीं होंगे। एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को ऐसे मामले में भी आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूबीडी/ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के पास भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी इस आशय का नवीनतम प्रमाण पत्र होना चाहिए (प्रारूप एनपीएस न्यास की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं)।

6. बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी):

क) निर्दिष्ट विकलांगताएँ हैं:

i) अंधापन और कम दृष्टि

ii) बहरा और सुनने में कठिन

iii. सेरेब्रल पाल्सी, लेपरोसी क्यूरड, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सहित लोकोमोटर विकलांगता,

iv. ऑटिज़्म, बौद्धिक विकलांगता, विशिष्ट सीखने की विकलांगता और मानसिक बीमारी,

v. एकाधिक विकलांगताएं और

vi. अन्य विकलांगताएं (अधिनियम, 2016 के विकलांग व्यक्तियों के अधिकार के अनुसार)

ख) पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार किसी भी श्रेणी (यानी सामान्य /एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस) से संबंधित हो सकते हैं और वे आयु में छूट के पात्र होंगे। पीडब्ल्यूबीडी के लिए आरक्षण क्षैतिज है और पदों की कुल रिक्तियों के भीतर है।

ग) पीडब्ल्यूबीडी का अर्थ है एक निर्दिष्ट बेंचमार्क विकलांगता का चालीस प्रतिशत से कम नहीं वाला व्यक्ति, जहां निर्दिष्ट विकलांगता को मापने योग्य शर्तों में परिभाषित नहीं किया गया है और सामान्य / एससी / एसटी / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आवेदन करने के लिए पात्र हैं। वे लागू शुल्क में रियायत के पात्र होंगे।

घ) पीडब्ल्यूबीडी के लिए आरक्षण, यदि कोई हो, "विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016" की धारा 34 के अनुसार होगा।

7. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण:

क) ईडब्ल्यूएस से संबंधित उम्मीदवारों के लिए आरक्षण अन्य बातों के साथ-साथ भारत सरकार द्वारा समय-समय पर प्रचलित दिशानिर्देशों/निर्देशों/आदेशों/स्पष्टीकरण के अधीन होगा, जो वर्तमान में निम्नानुसार दिए गए हैं:

- i. ऐसे व्यक्ति जो एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण की योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं और जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय 8.00 लाख रुपये (आठ लाख रुपये) से कम है और ईडब्ल्यूएस के लिए भारत सरकार के मानदंडों को पूरा करते हैं, उन्हें आरक्षण के लाभ के लिए ईडब्ल्यूएस के रूप में पहचाना जाएगा। आय में आवेदन के वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष के लिए सभी स्रोतों, यानी वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि स्वरूप आय भी शामिल होगी।
- ii) साथ ही, जिन व्यक्तियों के परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति है, उन्हें ईडब्ल्यूएस के रूप में पहचाने जाने से बाहर रखा जाएगा, भले ही परिवार की आय कुछ भी हो:
  - i) 5 एकड़ और उससे अधिक कृषि भूमि;
  - ii) 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय प्लॉट;
  - iii. अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
  - iv. अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

ख) भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36039/1/2019-स्था (आरईएस) दिनांक 31.01.2019 द्वारा शासित होता है।

**अस्वीकरण:** "ईडब्ल्यूएस रिक्तियां जो उत्पन्न हो सकती हैं (यदि कोई हो) अस्थायी होंगी और भारत सरकार के अगले निर्देशों और विषय पर किसी भी मुकदमे के परिणाम के अधीन होंगी। नियुक्ति अनंतिम होगी और उचित चैनलों के माध्यम से आय और संपत्ति प्रमाणपत्र के सत्यापन के अधीन होगी। भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी 'आय और संपत्ति प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करने पर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ उठाया जा सकता है।

## अनुभाग II

याद रखने योग्य महत्वपूर्ण तिथियाँ	
गतिविधि	महत्वपूर्ण तिथियाँ
धारा II(क) में उल्लिखित भरे गए भौतिक आवेदन पत्र एनपीएस न्यास तक पहुंचना चाहिए	07.11.2023 तक 6:00 अपराह्न
<b>एनपीएस न्यास तारीखों में कोई भी बदलाव करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।</b>	

### 1. पात्रता मानदंड:

ग्रेड	शाखा	योग्यता (निम्नलिखित में से कोई एक)	अनुभव	ऊपरी आयु (30.09.2023 तक)
ग्रेड डी (उप महाप्रबंधक)	जोखिम प्रबंधन	बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पूर्णकालिक मास्टर डिग्री या इसके समकक्ष जो वित्त के क्षेत्र में विशेषज्ञ हो / आईसीएआई (इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट (एसीए) या फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट (एफसीए) / सीएफए इंस्टीट्यूट से चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट (सीएफए)	पेंशन/वित्तीय क्षेत्रों, जोखिम प्रबंधन और निवेश प्रबंधन में विशेष ज्ञान से संबंधित समस्याओं से निपटने में अधिकारी संवर्ग में शैक्षणिक योग्यता के बाद न्यूनतम 11 वर्ष का अनुभव	45

### 2. चयन की प्रणाली :

- क) आवेदनों की जांच (स्क्रीनिंग) और उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग।
- ख) चरण-1: प्रारंभिक साक्षात्कार।
- ग) चरण-2: प्रारंभिक साक्षात्कार से चुने गए उम्मीदवारों का अंतिम साक्षात्कार।

### महत्वपूर्ण लेख:

- क) चयन प्रारंभिक और अंतिम साक्षात्कार के बाद आवेदकों की शॉर्टलिस्टिंग पर आधारित होगा। निर्धारित पात्रता मानदंडों के आधार पर पात्र उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग के लिए स्क्रीनिंग सह शॉर्टलिस्टिंग समिति द्वारा आवेदनों की जांच की जाएगी। यदि समिति द्वारा जांचे गए उम्मीदवारों की संख्या पद के लिए रिक्तियों की तुलना में बहुत अधिक है, तो उम्मीदवारों को प्रारंभिक साक्षात्कार यथा - प्रथम चरण में भाग लेने के लिए बुलाए जाने से पहले ऐसे उम्मीदवारों की एक और शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी। चरण-1 (प्रारंभिक साक्षात्कार) में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों को केवल चरण-2 के लिए उम्मीदवार की योग्यता तक पहुंचने के लिए माना जाएगा, न कि अंतिम योग्यता सूची तैयार करने के लिए। अंतिम चयन चरण - 2 (अंतिम साक्षात्कार) में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा।
- ख) न्यूनतम शैक्षिक योग्यता और योग्यता के बाद के अनुभव को पूरा करने मात्र से उम्मीदवार को प्रारंभिक साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का कोई अधिकार नहीं मिल जाएगा। एनपीएस न्यास द्वारा गठित स्क्रीनिंग सह शॉर्टलिस्टिंग समिति शॉर्टलिस्टिंग पैरामीटर तय करेगी और उसके बाद, एनपीएस न्यास द्वारा तय किए गए पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और प्रारंभिक साक्षात्कार में भाग लेने के लिए बुलाया जाएगा। इस संबंध में एनपीएस न्यास का निर्णय अंतिम और सभी उम्मीदवारों

के लिए बाध्यकारी होगा। इस संबंध में एनपीएस न्यास द्वारा किसी भी पत्राचार/प्रतिवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, शॉर्टलिस्ट होने में विफल रहने वाले उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क/सूचना शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। इस प्रकार, केवल पात्रता मानदंडों को पूरा करने से कोई भी उम्मीदवार अंतिम साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का हकदार नहीं हो जाता। एनपीएस न्यास अंतिम साक्षात्कार के लिए स्क्रीनिंग, शॉर्टलिस्टिंग और प्रारंभिक साक्षात्कार में सफल होने वाले केवल अपेक्षित संख्या में उम्मीदवारों को बुलाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

- ग) सक्षम प्राधिकारी एक चयन समिति का गठन करेगा, जिसमें उम्मीदवारों के साक्षात्कार के लिए उतनी संख्या में व्यक्ति और एक बाहरी विशेषज्ञ शामिल होगा जितना वह निर्धारित कर सकता है। एनपीएस न्यास किसी भी परिस्थिति में प्रारंभिक या अंतिम साक्षात्कार में भाग लेने में उम्मीदवार की असमर्थता के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। अंतिम साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों को आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के अधीन, उनके सामान्य निवास स्थान से नई दिल्ली तक सबसे छोटे मार्ग से यात्रा के लिए इकोनॉमी 'वाई' श्रेणी का आने-जाने का हवाई किराया प्रतिपूर्ति किया जाएगा।
- घ) चरण-2 के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को चरण-1 में न्यूनतम अंक और अंतिम अंक भी सुरक्षित करना होगा। चरण-2 में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर अवरोही क्रम में एक मेरिट सूची तैयार की जाएगी। यदि एक से अधिक उम्मीदवार कट-ऑफ अंक (कट-ऑफ बिंदु पर सामान्य अंक) प्राप्त करते हैं, तो ऐसे उम्मीदवारों को योग्यता में अवरोही क्रम में उनकी आयु के अनुसार स्थान दिया जाएगा। तथापि, पद हेतु चयन पद के लिए संबंधित श्रेणी-वार मेरिट सूची में उनकी स्थिति के आधार पर होगा।
- ङ) अनंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति इस उद्देश्य के लिए एनपीएस न्यास द्वारा अधिकृत अस्पताल/डॉक्टर से संतोषजनक चिकित्सा रिपोर्ट के अधीन होगी।
- च) इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित जानकारी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद ही आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत उपलब्ध कराई जाएगी।

### 3) वेतन एवं भत्ते:

ग्रेड	वेतन एवं भत्ते
ग्रेड डी (उप महाप्रबंधक)	<p>क) <b>वेतन:</b> ग्रेड डी में अधिकारियों का वेतनमान रु. 110050-3550(2)-117150-3700(5)-135650-3900(1)- 139550 (9 वर्ष) वर्तमान में, सकल वेतन में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के लिए एनपीएस न्यास का अंशदान , ग्रेड भत्ता, विशेष भत्ता, महंगाई भत्ता, स्थानीय प्रतिपूरक भत्ता और आवास भत्ता शामिल है .</p> <p>ख) <b>लाभ:</b> अन्य लाभों में शामिल यथा -अवकाश किराया रियायत, चिकित्सा व्यय (अस्पताल में भर्ती और चिकित्सा परामर्श आदि ), व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, नेत्र अपवर्तन / चश्मे की लागत, शिक्षा भत्ता, वित्तीय दैनिक समाचार पत्र, पुस्तक अनुदान, ब्रीफकेस, वाहन व्यय, गृह सफाई भत्ता , स्टाफ फर्निशिंग योजना, कंप्यूटर खरीदने की योजना और अन्य सभी लाभ जो एनपीएस न्यास में एक अधिकारी ग्रेड डी के लिए स्वीकार्य हैं।</p> <p>ग) <b>सीटीसी:</b> वेतनमान की शुरुआत में अधिकारी ग्रेड डी के पद के लिए वेतन और लाभ सहित कुल सीटीसी लगभग रु. 54 लाख प्रति वर्ष होगी।</p>

#### 4 सेवा शर्तें:

- क) **परिवीक्षा:** अधिकारी ग्रेड डी (उप महाप्रबंधक) के पद के लिए भर्ती किए गए सफल उम्मीदवारों को नियुक्ति की तारीख से 1 वर्ष की परिवीक्षा अवधि होगी। सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर असंतोषजनक कार्य-निष्पादन के लिए परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जा सकती है। संतोषजनक कार्य-निष्पादन, क्रेडेंशियल्स और पूर्ववृत्त के सत्यापन के अधीन उम्मीदवारों को एनपीएस न्यास की सेवाओं में पुष्टि के लिए विचार किया जाएगा जिसमें अनुभव, जाति/जनजाति/वर्ग/विकलांगता के सत्यापन (केवल आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए) आदि के संबंध में पिछले नियोक्ताओं से संतोषजनक रिपोर्ट और एनपीएस न्यास में सक्षम प्राधिकारी के विवेकाधीन इत्यादि शामिल होगा। एनपीएस न्यास में उसकी सेवाओं की पुष्टि होने तक उम्मीदवार की उम्मीदवारी अनंतिम रहेगी। भर्ती किए गए उम्मीदवार की सेवाएं एनपीएस न्यास कर्मचारी सेवा नियमों और समय-समय पर इसके संशोधनों द्वारा शासित होंगी।
- ख) **तैनाती:** तैनाती नई दिल्ली में है। तथापि, भर्ती किए गए अधिकारी को भारत में किसी भी स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है जहां एनपीएस न्यास भविष्य में अपने कार्यालय खोल सकता है और उसे एनपीएस न्यास में किसी भी विभाग में तैनात किया जा सकता है, चाहे वह किसी भी शाखा से संबंध रखता हो।

#### 5 सामान्य अनुदेश:

- क) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और पात्रता की तिथि के अनुसार निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करना सुनिश्चित करें।
- ख) जो आवेदन अधूरे हैं, या निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त हुए हैं या आयु, शैक्षिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र और अनुभव आदि के संबंध में सहायक दस्तावेजों के बिना प्राप्त हुए हैं, उन पर विचार नहीं किया जाएगा और आवेदन चरण की स्क्रीनिंग के समय ही सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
- ग) चयन का तरीका साक्षात्कार होगा (इस अनुभाग के पैरा 2 में वर्णित)। यदि उपयुक्त समझा जाए तो एनपीएस न्यास चयन प्रक्रिया को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- घ) उम्मीदवारों को आवेदित पद के लिए अपनी पात्रता के बारे में संतुष्ट होना चाहिए। एनपीएस न्यास आवेदन में दिए गए विवरण के आधार पर उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाएगा। एनपीएस न्यास अंतिम साक्षात्कार के समय ही उनकी पात्रता निर्धारित करेगा। प्रारंभिक साक्षात्कार के समय उम्मीदवार के पास अपने आवेदन के संबंध में अपने दावे के समर्थन में सभी अपेक्षित मूल प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से होने चाहिए।
- ड.) एक उम्मीदवार द्वारा एक ही पद के लिए एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। एक ही पद के लिए किसी उम्मीदवार से कई आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में केवल उस विशेष पद के लिए ऐसे उम्मीदवार के नवीनतम आवेदन पर विचार किया जाएगा।
- च) जो उम्मीदवार पहले से ही सरकारी/अर्ध-सरकारी संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/उपक्रमों की सेवा में हैं, उन्हें अंतिम साक्षात्कार के समय अपने नियोक्ता से अनुभाग II (बी) में निर्धारित प्रारूप में 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्रस्तुत करना होगा। ऐसे उम्मीदवारों को सतर्कता मंजूरी, पिछले 10 वर्षों के दौरान लगाए गए प्रमुख/छोटे दंडों की सूची, यदि कोई हो, सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र और पिछले 5 वर्षों के लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर)/वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) भी प्रस्तुत करनी होगी जो सीधे एनपीएस न्यास को आवेदन के साथ प्राप्त होगा। एनपीएस न्यास में नियुक्ति से पहले नियोक्ता से उचित सेवा-त्याग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- छ) एनपीएस न्यास साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करने के लिए योग्यता और अनुभव के संबंध में न्यूनतम मानकों को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस प्रकार, केवल योग्यता और अनुभव के संबंध में विज्ञापन में निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने से कोई भी उम्मीदवार स्वचालित रूप से साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का हकदार नहीं होगा।
- ज) एनपीएस न्यास बिना कोई कारण बताए विज्ञापन को पूर्ण या आंशिक रूप से रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- झ) किसी भी रूप में कैनवसिंग (Canvassing) करने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा, एनपीएस न्यास ऐसे उम्मीदवारों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को ऐसे सभी मामलों की रिपोर्ट कर सकता है।
- ञ) यदि उम्मीदवार पात्र नहीं है या उसने जानबूझकर या उद्देश्यपूर्वक गलत विवरण या तथ्यों की जानकारी नहीं दी है, तो उसकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी चरण में रद्द कर दी जाएगी। यदि उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में अर्हता प्राप्त करता है और बाद में

यह पाया जाता है कि वह इसे पूरा नहीं करता है पात्रता मानदंड के अनुसार, उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और यदि नियुक्त किया जाता है, तो उसकी नियुक्ति बिना किसी सूचना या मुआवजे के रद्द कर दी जाएगी। जैसा उचित समझा जाएगा कार्रवाई शुरू की जाएगी।

- ट) नियत तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। एनपीएस न्यास आवेदन प्राप्त होने में किसी भी विलंब या डाक पारगमन में उसके खो जाने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है।
- ठ) इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित सभी शुद्धिपत्र/परिशिष्ट/नोटिस आदि (यदि कोई हो) केवल एनपीएस न्यास की वेबसाइट [www.npstrust.org.in](http://www.npstrust.org.in) पर उपलब्ध कराए जाएंगे और इसलिए, उम्मीदवारों को अद्यतन प्राप्त करने हेतु नियमित रूप से वेबसाइट देखने की सलाह दी जाती है जो भर्ती प्रक्रिया के समाप्त होने तक जारी रहेगी।
- ड) सभी मामलों में एनपीएस न्यास का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा, और इस संबंध में किसी भी पत्राचार/प्रतिवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इस भर्ती से संबंधित कोई भी मामला यह भर्ती भारत के कानूनों द्वारा शासित होगा। केवल नई दिल्ली की अदालतों (अन्य सभी अदालतों को छोड़कर) के पास इस चयन प्रक्रिया के संबंध में उत्पन्न होने वाले विवाद के किसी भी मामले पर निर्णय लेने या निर्णय लेने का विशेष क्षेत्राधिकार होगा।

## 6 आवेदन कैसे करें:

- क) जो उम्मीदवार पात्रता मानदंडों को सख्ती से पूरा करते हैं, वे ग्रेड डी अधिकारी (उप महाप्रबंधक) के पद के लिए अनुभाग II (क) में दिए गए प्रारूप में अपना बायोडाटा देकर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को विधिवत भरे हुए आवेदन के साथ योग्यता, अनुभव आदि के संबंध में एक संक्षिप्त प्रोफाइल (3 पृष्ठों से अधिक नहीं) जमा करना भी आवश्यक है। एनपीएस न्यास पद के लिए पात्रता के संबंध में अपने दावे को मान्य करने के लिए उम्मीदवार से ईमेल/पोस्ट द्वारा अतिरिक्त दस्तावेज मांगने का अधिकार सुरक्षित रखता है। निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने में विफलता के परिणामस्वरूप उम्मीदवार की उम्मीदवारी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- ख) सहायक दस्तावेजों के साथ आवेदन साधारण/स्पीड पोस्ट (एडी के बिना) द्वारा एक कवर में भेजा जाना चाहिए जिस पर 'एनपीएस न्यास - ग्रेड डी अधिकारी (उप महाप्रबंधक) के पद के लिए आवेदन' लिखा हो, जो निम्नलिखित पते पर भेजा जाना चाहिए:

**महाप्रबंधक (मानव संसाधन)  
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास  
14वीं मंजिल, आईएफसीआई टॉवर  
61, नेहरू प्लेस नई दिल्ली - 110019**

- ग) जो आवेदन निर्धारित प्रारूप में नहीं हैं, अपेक्षित शुल्क का भुगतान किए बिना जमा किए गए हैं और/या नियत तारीख के बाद प्राप्त हुए हैं, उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
- घ) आवेदन पहुंचने की अंतिम तिथि 07.11.2023 और समय शाम 06:00 बजे तक है।
- ड.) विज्ञापन में निर्धारित प्रक्रिया के अलावा यथा-ई-मेल आदि के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसे माध्यम से प्राप्त आवेदन अस्वीकृत किए जाने के पात्र होंगे।

## 7 आवेदन शुल्क/सूचना शुल्क (गैर-प्रतिदेय):

आवेदक की श्रेणी	शुल्क की राशि (गैर- प्रतिदेय) (रुपया में)
अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी	रुपया 1,000/-
एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी/ महिला	शून्य

**8) शुल्क/सूचना शुल्क का भुगतान:**

क) लागू शुल्क/सूचना शुल्क का भुगतान राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास सामान्य प्रशासन खाता के पक्ष में नई दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जमा करके या नेट बैंकिंग के माध्यम से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास सामान्य प्रशासन खाता के खाते में देय किया जा सकता है। बैंक खाता का विवरण निम्नवत है:

विवरण	विवरण
खाते का नाम	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास सामान्य प्रशासन खाता
खाता संख्या	159901000000888
खाता का प्रकार	बचत खाता
बैंक का नाम	इंडियन ओवरसीज बैंक
शाखा का नाम	वसंत विहार
शाखा का पता	एफ-75 वसंत विहार दिल्ली -110057
आईएफएससी	IOBA0001599

- ख) ऑनलाइन भुगतान के मामले में, संदर्भ संख्या के साथ भुगतान के प्रमाण की प्रति भी आवेदन के साथ जमा की जा सकती है।
- ग) निर्धारित शुल्क/सूचना शुल्क के बिना आवेदन को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
- घ) एक बार भुगतान किया गया शुल्क/सूचना शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही शुल्क को किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए आरक्षित रखा जा सकता है।
- ड.) शुल्क/सूचना शुल्क का भुगतान केवल इस विज्ञापन में निर्धारित तरीके से किया जाना आवश्यक है।
- च) एक बार किया गया आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- छ) एक बार भुगतान किया गया आवेदन शुल्क/सूचना शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा, जिसमें आवेदन अस्वीकार कर दिया गया हो या एनपीएस न्यास द्वारा उस पर विचार नहीं किया गया हो।
- ज) बैंक/लेन-देन शुल्क, यदि लागू हो, उम्मीदवार को वहन करना होगा।



**अनुभाग II (क)**

**एनपीएस न्यास में अधिकारी ग्रेड डी (उप महाप्रबंधक) के पद हेतु आवेदन**

1. पूरा नाम (अंग्रेजी- बड़े अक्षर)	पहला नाम																			मध्य नाम																			उपनाम																			
2. पिता का नाम																		साथ में बॉक्स में फोटोग्राफ चिपकाएँ और उस पर हस्ताक्षर करें																																								
3. (कृपया जहाँ लागू हो वहाँ टिक करें)	पुरुष		महिला		तृतीय लिंग																																																					
4. जन्म तिथि	दिन	दिन	माह	माह	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष																																																		
5. उम्र (30.09.2023 तक)			वर्ष					माह																																																		
6. श्रेणी, यानी सामान्य/एससी/एसटी/ओबीसी/पीएच (कृपया जहाँ भी लागू हो वहाँ टिक करें)	सामान्य	ओबीसी	एससी	एसटी	पीडब्ल्यूडी	ईडब्ल्यूएस																																																				
7. 30.09.2023 तक कार्य अनुभव का विवरण (नवीनतम अनुभव का उल्लेख पहले किया जाएगा)																																																										
नियोक्ता का नाम व पता	पदनाम	नौकरी प्रोफाइल	अवधि	समय																																																						
			से	तक	वर्ष	माह																																																				
8. 30.09.2023 तक शैक्षणिक योग्यता																																																										
योग्यता	परीक्षा	मुख्य विषय	उत्तीर्ण वर्ष	विश्वविद्यालय / संस्था	सकल अंक (%) में )	क्लास /श्रेणी																																																				
स्नातक																																																										
स्नातकोत्तर																																																										
बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पूर्णकालिक मास्टर डिग्री या इसके समकक्ष जो वित्त के क्षेत्र में विशेषज्ञ हो / आईसीएआई (इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट (एसीए) या फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट																																																										

(एफसीए) / सीएफए इंस्टीट्यूट से चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट (सीएफए)						
--	--	--	--	--	--	--

अन्य कोई

9. डाक पता (अंग्रेजी - केवल बड़े अक्षरों में)

	ई-मेल :
	दूरभाष :
	मोबाइल :
जिला .:	एसटीडी कोड :
राज्य :	पिन कोड :

10. आवेदक द्वारा प्रासंगिक समझी गई कोई अन्य जानकारी:

11. शुल्क भुगतान का विवरण :

भुगतान का माध्यम	राशि (रुपया में )	विवरण	दिनांक	के नाम आहरित
डीडी/बैंकर्स चेक नं.		डीडी/बैंकर्स चेक नं.		
नेट बैंकिंग		यूटीआर सदभ संख्या		

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। मैं समझता/समझती हूँ कि यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि इस आवेदन में दी गई कोई भी जानकारी झूठी/गलत है या मैं एनपीएस न्यास के अनुसार पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता/करती हूँ, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति रद्द/समाप्त की जा सकती है। मैंने रिक्ति परिपत्र में दी गई शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और एतद्वारा उनका पालन करने का वचन देता/देती हूँ।

स्थान :

दिनांक : हस्ताक्षर

नोट : क)आवेदन के साथ आयु, योग्यता और अनुभव, जाति/जनजाति/समुदाय/शारीरिक विकलांगता के समर्थन में प्रमाणपत्रों की स्व-सत्यापित प्रतियां, साथ ही आवेदन प्रपत्र की ऊपरी दाएं कोने पर एक हालिया पासपोर्ट आकार की तस्वीर चिपकाई जानी चाहिए।  
ख ) उम्मीदवारों को विधिवत भरे हुए आवेदन के साथ योग्यता, अनुभव आदि के संबंध में एक संक्षिप्त प्रोफाइल (3 पृष्ठों से अधिक नहीं) जमा करना भी आवश्यक है।

## अनुभाग II (ब)

(मूल पत्रशीर्ष पर नियोक्ता/कार्यालय प्रमुख/सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाणपत्र)

### अनापत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....पुत्र/पुत्री/पत्नी /विधवा..... .. इस संगठन/संस्था में .....के रूप में .....से कार्यरत है और इस संगठन/संस्था को एनपीएस न्यास में अधिकारी ग्रेड 'डी' (उप महाप्रबंधक) के पद के लिए आवेदन करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि:

- i) कि श्री/सुश्री..... के खिलाफ कोई सतर्कता/अनुशासनात्मक/आपराधिक मामला लंबित या विचाराधीन नहीं है।
- ii) यह कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित है।
- iii) पिछले पांच वर्षों की एसीआर/एपीएआर की फोटोकॉपी संलग्न हैं।
- iv) पिछले दस वर्षों के दौरान उस पर कोई छोटा/बड़ा जुर्माना नहीं लगाया गया है या पिछले दस वर्षों के दौरान उस पर लगाए गए छोटे/बड़े दंड की सूची संलग्न है (जैसा भी मामला हो)।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर

नाम व पदनाम :

दूरभाष संख्या और ई-मेल :

कार्यालय मुहर

संलग्नक की सूची

i)

ii)

iii)